(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government propose to take some action on long pending demands of the workers;

(f) whether Union Government propose to offer mediation to resolve the outstanding issues of workers; and

(g) if so, details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) Some Trade Unions, namely AITUC, AICCTU, CITU, HMS, IFTU, UTUC(L.S.) had given a call for strike on 23.11.1995 to press inter-alia their demands for (i) increase in minimum wages and Dearness Allowance; (ii) Abolition of Contract labour system; (iii) Ban on closure and retrenchment; (iv) Vigorous enforcement of labour laws; and (v) Equal remuneration and provision of Creches for women workers, etc.

(e) to (g) The demands raised by the workers are of general nature and are considered by the Government of National Capital Teritory of Delhi and the Central Government for appropriate policy changes from time to time.

सुपर बाजार प्रबंधन समिति का पुनगर्ठन

2140. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सुपर बाजार प्रबंधन समिति का कार्यकाल गत वर्ष 1994 में ही समाप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रबंधन समिति का अब तक पुनर्गठन नहीं किया हैं और इसके सदस्यों के चयन के लिए चुनाव भी नही करवाया हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं

(घ) क्या सरकार सुपर बाजार की एक स्थायी प्रबंधन समिति गठित करने का विचार रखती हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उक्त प्रबंधन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग) सुपर बाजार की प्रबंध समिति के चार पदेन, पांच नामित और छः चुने हुए सदस्य होते हैं। नामित सदस्य सरकार की मर्जी के अनुसार पद पर बने रहते हैं। ऐसे सदस्यों को नामित करने वाले आदेश में कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की जाती हैं। नामित सदस्यों से संबंधित मौजूद अधिसूचना 19 सितम्बर, 1994 को जारी की गई थी। सुपर बाजार की उपविधियों के अनुसार चुने हुए सदस्यों का प्रत्येक दो वर्षो पर चुनाव होता हैं। सुपर बाजार की उपविधियों में एक और उपबंध हैं कि चयनित सदस्य नई प्रबंध समिति के चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे बशर्ते कि, रजिस्ट्रार यदि विशेष आदेश के द्वारा चुनाव कराने की अवधि नहीं बढता हैं तो यह चुनाव पिछले चुनाव से तीस महीने के अवधि के भीतर सम्पन्न हो। सुपर बाजार ने प्रबंध समिति का चुनाव नहीं कराया हैं क्योंकि बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए सुपर बाजार का आवेदन सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्टार के पास अनुमोदन के लिए पड़ा हैं। सुपर बाजार की वार्षिक आम बैठक ने 22 अप्रैल , 1995 को यह संकल्प पारित किया था कि अपेक्षाकृत छोटी प्रतिनिधि आम सभा और प्रबंध समिति के लिए चुनाव बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम और उसके तहत प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत करा लिए जाएं।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

Reports Regarding Trade Imbalance with Bangladesh

2141. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it has been reported in some columns of Press that Trade